न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व विभाजन वाद सं0–137/2022

24-05-2023 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। प्रस्तुत अधिकार वाद में वादी के द्वारा दिनांक–24.05.2023 अंतर्गत आदेश 1, नियम 10 (2) –सह– पठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता में आवेदन दाखिल किया गया है तथा आवेदन को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि उक्त आवेदन प्रस्तुत वाद में पक्षकार को जोड़ने के लिए लाया गया है। वादी के द्वारा वादपत्र के पारा–2 में यह दर्ज किया गया है कि बिश्वेश्वर महतो अपने पांच पुत्रों राम ध्यान महतो, अच्छाइवर महतो, देव नारायण महतो, रामेश्वर महतो एवं महावीर महता को छोड़ चल बसे। कुछ समय बाद राम ध्यान महतो की मृत्यु संयुक्तावस्था में बिना निःसंतान हो गई। कुछ समय पश्चात् रामेश्वर महतो अपने एक मात्र पुत्र जगलाल महतो, जो संयुक्तावस्था में निःसंतान मर गए, को छोड़कर चल बसे। अच्छाइवर महतो अपने पीछे एक पुत्र जय नारायण महतो को छोड़ गए और जय नारायण महतो, अपने तीन पुत्र अम्बिका सिंह, अभय कुमार एवं अशोक कुमार (प्रतिवादी सं0–2) को संयुक्तावस्था में छोड़कर चल बसे। अम्बिका कुमार अपने पीछे निरंजन कुमार (प्रतिवादी सं0–3) एवं रंजन कुमार (प्रतिवादी सं0–4) को संयुक्तावस्था में छोड़कर चल बसे। अभय कुमार की भी मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे अपने एक पुत्र मनोज कुमार (प्रतिवादी सं0–5) को संयुक्तावस्था में छोड़ गए। देव नारायण महतो अपने पीछे अपने एक पुत्र तेज नारायण सिंह को छोड़ गए और तेज नारायण महतो अपने पीछे अपने एक पुत्र बालमुकुंद सिंह (प्रतिवादी सं0–1) को संयुक्तावस्था में छोड़कर चल बसे। महावीर महतो की मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे बपनी पत्नी राज रानी कुंवर और एक पुत्री राज कुरी देवी को छोड़ गए। राज कुरी देवी अपने पीछे अपने एक पुत्र ब्रह्मदेव सिन्हा को छोड़कर चल बसी। कुछ समय पश्चात् ब्रह्मदेव सिन्हा अपने दो पुत्र राम जतन सिंह एवं शिव जतन सिंह को छोड़कर चल बसे। राम जतन सिंह अपने दो पुत्रों उपेन्द्र कुमार (वादी) एवं प्रमोद कुमार (प्रतिवादी सं0–6, परफॉर्मा प्रतिवादी के रूप में) संयुक्तावस्था में छोड़कर चल बसे। इस प्रार्थी ने परफॉर्मा प्रतिवादी के साथ प्रश्नगत सम्पत्ति में से अपने हिस्से की 1/3 भाग का अनुतोष मांगा है। यह स्वत्व विभाजन वाद प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु नियत किया गया है। वादपत्र के टंकन के समय कुछ गलतियां हो गई हैं और प्रश्नगत सम्पत्ति के सह–भागीदारों में से एक शिव जतन सिंह परफॉर्मा प्रतिवादी के रूप में टंकित नहीं किए गए हैं, जिन्हें वादपत्र में परफॉर्मा प्रतिवादी सं0–7 के रूप में पक्षकार बनाना आवश्यक है। साथ–ही वादी के द्वारा दिनांक–24.05.2023 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 –सह– पठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता में आवेदन दिया गया तथा अभिकथन किया गया कि उक्त आवेदन वादपत्र में संशोधन हेतु लाया गया है। प्रस्तुत स्वत्व विभाजन वाद प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु नियत किया गया है, परंतु टंकन त्रुटि के कारण कुछ गलतियां हो गई हैं, अतः उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है। यह संशोधन औपचारिक प्रकृति का है, जिससे वाद की प्रकृति, स्वभाव एवं वाद–हेतुक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह संशोधन पक्षकारों के बीच

वास्तविक विवाद के न्याय–निर्णयन के लिए आवश्यक है। अतः वादी/प्रार्थी के उपरोक्त आवेदनों को स्वीकृत करने तथा आवेदन के अंत में दिए विवरण के अनुसार संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की जाय।

वादी के आवेदन को सुना। अभिलेख के अवलोकन एवं परिशीलन के पश्चात् वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–24.05.2023 अंतर्गत आदेश 1, नियम 10 (2) –सह– पठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के संदर्भ में न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत अधिकार वाद में वादी के द्वारा दाखिल आवेदन के समर्थन में जो दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उससे ज्ञात होता है कि उक्त शिव जतन महतो को परफॉर्मा प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में न्यायालय इस आवेदन को स्वीकृत करती है। वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–24.05.2023 अंतर्गत आदेश–6 नियम 17 –सह– पठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के संदर्भ में न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत अधिकार वाद प्रारम्भिक स्थिति में है, प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए हैं, एवं उपरोक्त संशोधन से वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे किसी पक्षकार को अपूर्णीय क्षति हो, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। साथ–ही कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार शिव जतन महतो को परफॉर्मा प्रतिवादी के रूप में दर्ज करें तथा उपरोक्त संशोधन को सम्पादित करें। वाद दिनांक–03.08.2023 वास्ते अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु।

लेखापित

25.05.23

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी